

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.23(257)स्था/निकाशि/RVRES/2012/711

दिनांक:- 29-10-12

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
सरदार शहर

विषय:- विभाग का पत्रांक एफ 23()स्था/ निकाशि / निर्देश /
2012/357 दिनांक 18.05.2012

संदर्भ:- आपका पत्रांक 977 दिनांक 06.09.12


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि विभाग द्वारा जारी पत्रांक 357 दिनांक 18.05.12 में वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान का लाभ के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों में RVRES के तहत नियुक्त कार्मिकों को दिनांक 20.12.2008 के पश्चात देय वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान का लाभ संस्थाओं के द्वारा दे दिये गये हो तो नये आदेश आने तक स्वीकार्य नहीं है , में दिनांक 20.12.2008 के स्थान पर 30.12.2008 पढा जावें ।

^{Sd.}
संयुक्त निदेशक (प्रशा.)
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. डॉ.धीरेन्द्र देवर्षि, बेबसाइट प्रभारी ।


संयुक्त निदेशक (प्रशा.)
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर